

कार्यालय आदेश

निबंधित

सर्वेदक अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0 लिमिटेड, ग्राम-केवाल, पो0-गुगुलडीह, जिला-जमुई (बिहार) निबंधन संख्या-प्रथम(कंपनी)नवीकृत-04(भवन)/2009 द्वारा जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, खैरा का निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक-25.08.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में विषयांकित कार्य की निविदा के निष्पादन के क्रम में वित्तीय बीड की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया की विषयांकित कार्य की निविदा के चार निविदाकारों यथा (i) बालकृष्ण भालोटिया कंसट्रक्शन कंपनी प्रा0 लिमिटेड, जमुई (ii) अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0 लि0, जमुई (iii) सुदेश कुमार सिंह एंड कंपनी कंसट्रक्शन प्रा0 लि0, जमुई तथा (iv) लाल रूपक कुमार सिंह, जमुई द्वारा गैर अनुसूचित मद एवं अनुसूचित मद में एक समान राशि उद्धृत किया गया है जो क्रमशः ₹39,31,445/(उनचालीस लाख एकतीस हजार चार सौ पैतालीस रुपये) एवं ₹5,92,66,479/(पाँच करोड़ बानवे लाख छियासठ हजार चार सौ उनासी रुपये) है। जिससे यह स्पष्ट होता है की चारों निविदाकारों द्वारा समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लिया गया। इस तरह समीक्षोपरांत विभागीय निविदा समिति ने पाया कि चारों निविदाकारों द्वारा निविदा की गोपनीयता को भंग किया गया है।

दिनांक-25.08.2017 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में उक्त सर्वेदकों के विरुद्ध निविदा की गोपनीयता को भंग करने/समूह (Cartel) बनाकर निविदा डालने के आरोप में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 की कंडिका-11 (क) के उप कंडिका(X) के तहत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संबंधित निविदाकारों से विभागीय पत्रांक-8571(भ0) दिनांक-20.09.2017 तथा पत्रांक-8723 (भ0) दिनांक-22.09.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। मुख्य अभियंता (दक्षिण) के पत्रांक-1755 दिनांक-09.10.2017 द्वारा अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0 लिमिटेड, ग्राम-केवाल, पो0-गुगुलडीह, जिला-जमुई (बिहार) का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है। अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-09.10.2017 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में सर्वेदक अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0 लिमिटेड, ग्राम-केवाल, पो0-गुगुलडीह, जिला-जमुई(बिहार) द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-154 सह पटित ज्ञापांक-5403 दिनांक-18.06.2015 के आलोक में उनके निबंधन संख्या- प्रथम(कंपनी)नवीकृत-04(भवन)/2009 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः सर्वेदक अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0 लिमिटेड, ग्राम-केवाल, पो0-गुगुलडीह, जिला-जमुई (बिहार) के निबंधन संख्या-प्रथम (कंपनी)नवीकृत-04(भवन)/2009 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

—(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-18/2017.....पटना, दिनांक-11/10/17

प्रतिलिपि:-सविदक अशोक एंड कंपनी निवास प्रा0 लिमिटेड, ग्राम-केवाल, पो0-गुगुलडीह, जिला-जमुई(बिहार) को सूचनार्थ प्रेषिता

Ladga
11/10/17

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-18/2017.....पटना, दिनांक-11/10/17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषिता

Ladga
11/10/17

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

11/10/17

11/10/17

हस्तक्षेप

हस्ताक्षर